न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
रघुवीर पुत्र रामसिंह जाति रावणा राजपूत सा. पलाड़ा हाल आदित्य मिल कॉलोनी किशनगढ़ अजमेर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद = वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 शुद्धि बाबत

वाद–पत्र नम्बर 223 /2023 GCMS No. 2023/ 369

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
10/07/2023	वादी/प्रार्थी रघुवीर पुत्र रामसिंह जाति रावणा राजपूत सा. पलाड़ा हाल आदित्य मिल कॉलोनी किशनगढ़ अजमेर द्वारा "प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 राहत शिविर" के दौरान प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण की जांच रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित की। वाद/प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर चालू जमाबन्दी नकल सम्वत **2073–2076** ग्राम **पलाड़ा** पटवार मण्डल **पलाड़ा** तहसील कुचामनसिटी के खाता नम्बर **94** प्रस्तुत कर कथन किया है। वादी/प्रार्थी के नाम की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि **रघुवीरसिंह पुत्र रामूराम जाति रावणा राजपूत सा. देह खातेदार** दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। वादी/प्रार्थी का शुद्ध **रघुवीर पुत्र रामसिंह जाति रावणा राजपूत सा. पलाड़ा हाल आदित्य मिल कॉलोनी किशनगढ़ अजमेर** है तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति, स्वयं का शपथ–पत्र की प्रति इत्यादि प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी **पलाड़ा** भू.अ.नि. **मण्डावरा** तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है। उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से वादी का नाम शुद्ध किये जाने योग्य है जिसकी पुष्टि उपलब्ध उपरोक्त दस्तावेजात, पटवारी हल्का, नि.भू.अ., तहसीलदार कुचामनसिटी की रिपोर्ट से साबित है। अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल [illegible] जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर [illegible]तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Manoj Date: 2023.07.25 16:34:20 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी ([illegible])	